न्यायालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़, जिला बॉसवाडा

पीठासीन अधिकारी – श्री ऋषि राज कपिल **(R.A.S.)**
प्रकरण संख्या – 06/2024 दायर दिनांक :– 22.02.2024
आनलाईन प्रकरण – 2024/07 निर्णय दिनांकः– 13.01.2025

1. श्री कालीया पिता चुनिया जाति भील उम्र वयस्क निवासी नालपाडा तहसील कुशलगढ़।

बनाम

1. श्री फतेहसिंह पिता विरजी जाति भील उम्र वयस्क निवासी टाडावडला, तहसील कुशलगढ़।
2. श्री भूमिधारी राजस्थान सरकार जरिये राजस्व प्रतिनिधि तहसीलदार कुशलगढ़।

उपस्थित अधिववक्तागणः–

1. श्री दिनेश कुमार व्यास वादी की ओर से

वाद अन्तर्गत धारा 53, 209 रा.का.अधिनियम 1955

निर्णय

वादी ने विरुद्ध प्रतिवादी अन्तर्गत धारा 53, 209 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 इस न्यायालय में एक वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के संयुक्त खातेदारी की कृषि भूमि खाता संख्या नया 55, पुराना 41 के खसरा संख्या 870/120 रकबा 0.2307 लगानी 0.220 वाके राजस्व ग्राम मोर पटवार हल्का पोटलिया, भू.अ.नि. बडवास बडी तहसील कशलगढ़ में स्थित है। उक्त कृषि भूमि में वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का 1/2 – 1/2 हिस्सा निहित है तथा वे मौके पर अपने अपने हिस्सें पर काबिज है व लगान संयुक्त रूप से जमा कराते है। वाद कारण वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य परस्पर सहमति से किये विभाजन एवं उपयोग व उपभोग में प्रतिवादी संख्या 01 के द्वारा विवाद किया जा रहा है तथा प्रतिवादी संख्या 01 वादी के हिस्सें भूमि में आये दिन प्रवेश कर वादी के हिस्से की भूमि का स्वतन्त्र रूप से उपयोग व उपभोग एवं विकास में बाधा व रूकावट कर रहा है। वादी ने पूर्व में प्रतिवादी संख्या 01 को उक्त कृषि भूमि का आपसी बटंवारा करवाने का निवेदन किया तथा कई बार राज्य सरकार के द्वारा आयोजित राजस्व शिविर में भी बटंवारे की बात कहीं, परन्तु प्रतिवादी संख्या 01 बहाना बना कर टालते रहें तथा उक्त कृषि भूमि का बटंवारा नहीं करवा रहें है। जिस कारण उक्त कृषि भूमि का विभाजन कर वादी एवं प्रतिवादी संख्या 01 का बराबर–बराबर 1/2 हिस्सा किया जाना आवश्यक है, जिस हेतु वाद प्रस्तुत कर वादी ने निवेदन किया है कि उक्त वर्णित भूमि का वादी व प्रतिवादी संख्या 01 के मध्य 1/2 – 1/2 हिस्सा किये जाने की डिक्री पारित की जावे। तथा अन्य कोई न्यायोचित अनुतोष वादी पाने के अधिकारी हो वह धारा 209 रा.का.अ. के तहत वादी को प्रदान किया जावें।

वाद को दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को सम्मन जारी किया गया। दिनांक 27.03.2024 को वादी मय अधिवक्ता एवं प्रतिवादी स्वंय उपस्थित हुए। प्रतिवादी स्वंय द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर मौजा मोर

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)

खसरा संख्या 870/120 रकबा 0.57 एकड़ (0.2307 हैक्टेयर) भूमि का बंटवारा करवाना स्वीकार किया। प्रार्थना पत्र को शामिल पत्रावली किया गया। मुताबिक रिकॉर्ड वादी एवं प्रतिवादी का 1/2 व 1/2 हिस्सा रिकॉर्ड दर्ज है। वादी एवं प्रतिवादी दोनों द्वारा उक्त भूमि का मौका एवं रेकॉर्ड अनुसार विभाजन किये जाने हेतु सहमति दी गई। वादी का वाद एवं प्रतिवादी संख्या 1 का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर सहमति अनुसार ग्राम मोर की भूमि सर्वे नम्बर 870/120 रकबा 0.2307 हैक्टेयर लगान 0.22 के लिए वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 का 1/2-1/2 हिस्से का सहखातेदार कृषक घोषित किया जाकर प्रारम्भिक डिक्री जारी की गई। तथा हिस्सा अनुसार बाई मीट्स एण्ड बाउण्डस एवं भूमि की किस्म/रेकार्ड के आधार पर राजस्थान काश्तकारी (सरकारी) नियम, 1955 के नियम 18 से 21 के अनुसार विभाजन किये जाने हेतु तहसीलदार कुशलगढ़ को बंटवारा कमिश्नर नियुक्त किया जाकर विभाजन प्रस्ताव तैयार कर फहरिस्त बंटवारा एवं नक्षा ट्रेस पेश करने हेतु लिखा गया।

दिनांक 25.06.2024 को तहसीलदार कुशलगढ़ के पत्रांकः- एफ ( ) राजस्व/2024/788 दिनांक 17.05.2024 से प्राप्त बंटवारा फहरिस्त रिपोर्ट को पत्रावली के साथ सलंग्न किया गया। तथा प्राप्त रिपोर्ट पर वादी द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर असंतुष्टी जाहिर की जाकर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर दोनों पक्षो के मध्य में मौका स्थिति पर जो नजरी नक्षे में दर्शित की है जिससे वादी प्रतिवादी द्वारा भूमि क्रय करने के वक्त से भूमि के पूर्व एवं दक्षिण में क्रमशः उत्तर से दक्षिण एवं पूर्व से पश्चिम की ओर 15 फीट भूमि आवागमन के मार्ग हेतु छोडी जाकर शेष भूमि ही उपयोग उपभोग में लिये जाने तथा भविष्य में मार्ग हेतु छोडी गई भूमि विक्रेता एवं सार्वजनिक हित में आम निकास मार्ग हेतु उपयोग की जावेगी। वादी एवं प्रतिवादी इसमें कोई आपत्ति नहीं करेगें। उपरोक्तानुसार मार्ग की 15 फीट भूमि छोडकर शेष भूमि पर वादी एवं प्रतिवादी काबीज होकर उक्त मार्ग की भूमि को छोडते हुए उपयोग उपभोग करते चले आ रहे हैं। दोनों पक्ष की काबिजगी अनुसार भूमि का बंटवारा किया जाता है तो दोनों पक्ष में व पास पडौसियों में मार्गाधिकार की उक्त भूमि को लेकर भविष्य में कोई विवाद न रहे तथा वर्तमान में खातेदार अपने-अपने हिस्से पर काबिजगी अनुरूप किया जाता है तो दोनों पक्ष खातेदार के मध्य किसी भी प्रकार से वाद की बाहुल्यता नहीं होगी तथा कोई विवाद होने की संभावना नहीं रहेगी। दोनों पक्षों में मौका स्थिति अनुसार सहमतिपूर्वक निर्णय/डिक्री प्रदान करने का निवेदन किया गया। तद्नुसार वादी एवं प्रतिवादी को सूचना पत्र जारी किया जाकर तहसीलदार कुशलगढ से मौके पर काबिज अनुसार पुनः विभाजन प्रस्ताव मंगवाया गया। दिनांक 13.01.2025 को तहसीलदार कुशलगढ से बंटवारा फहरिस्त रिपोर्ट प्राप्त हुई। तथा वादी एवं प्रतिवादी स्वयं उपस्थित हुए। प्राप्त बंटवारा फहरिस्त रिपोर्ट पर वादी एवं प्रतिवादी द्वारा सहमति प्रदान की गई। प्राप्त बंटवारा फहरिस्त रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अतः प्राप्त बंटवारा फहरिस्त रिपोर्ट सही प्रतीत होने एवं वादी, प्रतिवादी द्वारा सहमति होने से अंतिम डिक्री किया जाना उचित प्रतीत होता है।

आदेश

अतः उपर्युक्त विवेचन के फलस्वरूप वादी व प्रतिवादी द्वारा सहमति होने से दावा मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है। हाल आराजी खसरा संख्या 870/120 कुल रकबा 0.2307 हैक्टेयर वाके ग्राम मोर, पटवार हल्का पाटोलिया, तहसील कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा की भूमि का पक्षकारान के मध्य निम्नानुसार बंटवारा किया जाता है-

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़ (बांसवाड़ा)

1– कालीया पुत्र चुनिया हिस्सा 1/2 जाति भील साकिन नालपाडा खातेदार

फतेहसींह पुत्र विरजी हिस्सा 1/2 जाति भील साकिन टाडावडला खातेदार

सर्वे नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
870/120/1	0.0362	का.2	0.03
योग –01	**0.0362**	-	**0.03**

2– कालीया पुत्र चुनिया हिस्सा पूर्ण जाति भील साकिन नालपाडा खातेदार

सर्वे नम्बर	रकबा (है0.)	किस्म	लगान
870/120/2	0.0972	का.2	0.09
योग –01	**0.0972**	-	**0.09**

3– फतेहसींह पुत्र विरजी हिस्सा पूर्ण जाति भील साकिन टाडावडला खातेदार

सर्वे नम्बर	रकबा (है0)	किस्म	लगान
870/120/3	0.0973	का.2	0.03
योग –01	**0.0973**	-	**0.09**

प्रकरण में तहसीलदार कुशलगढ़ की ओर से प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव एवं सलंग्न नक्शा ट्रेस इस निर्णय का जुज रहेगा। साथ ही पक्षकारान् वादी एवं प्रतिवादी एक–दुसरे के हिस्से में आई भूमि में किसी भी प्रकार की मजहामत पैदा नहीं करें, बल्कि शांतिपूर्वक उनके हिस्से की भूमि की काश्त एवं उपयोग व उपभोग करने देवें। हर्जा–खर्चा फरीकेन अपना अपना वहन करे। तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद एवं नक्शा ट्रेस में तरमीम करने के लिए लैण्ड होल्डर तहसीलदार कुशलगढ़ को तहरीर जारी हो। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 13.01.2025 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी कुशलगढ़

(ऋषि राज कपिल)
उपखण्ड अधिकारी
उपखण्ड अधिकारी
कुशलगढ़ जिला बांसवाड़ा (राज.)